

[प्रथम बार राजस्थान राज-पत्र, विशेषांक, भाग 4 (क), दिनांक 18-4-70
में प्रकाशित हुआ]

विधि विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 18, 1970

संख्या प. 7 (4) विधि।70:--राजस्थान विधान मण्डल का निम्नांकित अधि-
नियम, जिसे राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 अप्रैल, 1970 ई. को प्राप्त हुई, एतद्-
द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:--

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970

(अधिनियम संख्या 4 सन् 1970)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 अप्रैल, 1970 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में आवासन स्थानों की आवश्यकता की व्यवस्था और पूर्ति के लिये किये जाने वाले उपायों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.—(1) यह अधिनियम राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 कहा जा सकता है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर होगा ।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (1) “लगा हुआ क्षेत्र” से अभिप्रेत है जो इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन लगे हुए क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाय;
- (2) “बोर्ड” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित राजस्थान आवासन बोर्ड;
- (3) “बोर्ड परिसर” से अभिप्रेत है बोर्ड के या उसमें विनिर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिये गये कोई परिसर अथवा ऐसे कोई परिसर जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सौंपे गये हों या उसके कब्जे या नियन्त्रण में हों;
- (4) “निर्माण सामग्री” से अभिप्रेत है ऐसी वस्तुएं या चीजें जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा निर्माण सामग्री होना विनिर्दिष्ट की जाय;
- (5) “उपविधियां” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 54 के अधीन बनाई गई उपविधियां;
- (6) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है बोर्ड का अध्यक्ष;
- (7) “समिति” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त कोई समिति;
- (8) “सरकार या राज्य सरकार” से अभिप्रेत है राजस्थान राज्य की सरकार;
- (9) “आवासन आयुक्त” से अभिप्रेत है बोर्ड का आवासन आयुक्त;
- (10) “आवासन स्कीम” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई आवासन स्कीम और इसमें स्कीम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित भूमि के विकास के लिये कोई स्कीम सम्मिलित है;
- (11) “भूमि” में सम्मिलित है भूमि से उत्पन्न फायदे और जमीन से लगी हुई चीजें या जमीन से लगती हुई किसी चीज से स्थाई रूप से जुड़ी हुई कोई चीज;
- (12) “स्थानीय प्राधिकरण” में सम्मिलित है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम 38, सन् 1959) की धारा 7 के अधीन स्थापित नगरपालिका

बोर्ड, राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (अधिनियम 21, सन् 1953) की धारा 3 के अधीन स्थापित पंचायत या राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (अधिनियम 37, सन् 1959) की धारा 7 और 42 के अधीन गठित क्रमशः पंचायत समिति या जिला परिषद्;

स्पष्टीकरण.--इस अधिनियम में कहीं भी प्रयुक्त अभिव्यक्ति "नगरपालिका बोर्ड" में नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद् या कोई अन्य नगरपालिका प्राधिकरण सम्मिलित होना समझा जायगा;

- (13) "मास्टर आयोजना" से अभिप्रेत है राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (अधिनियम 35, सन् 1959) के अध्याय 2 के उपबन्धों के अनुसरण में किसी नगर क्षेत्र के लिये तैयार की गई और अनुमोदित मास्टर आयोजना;
- (14) "सदस्य" से अभिप्रेत है बोर्ड का अध्यक्ष या अन्य सदस्य;
- (15) "अभिसूचना" से अभिप्रेत है शासकीय राज-पत्र में प्रकाशित अभिसूचना;
- (16) "परिसर" से अभिप्रेत है कोई भूमि या भवन या भवन का कोई भाग तथा उसमें,—
 - (1) उक्त भवन या भवन के भाग से उपाबद्ध उद्यान, मंदान और बाह्यगृह, यदि कोई हो, तथा
 - (2) उक्त भवन या भवन के भाग पर, उसके अधिन फायदेप्रद उपयोग के लिये, स्थिर किये गये कोई फिटिंग्स सम्मिलित हैं;
- (17) "विहित" से अभिप्रेत है नियमों द्वारा विहित;
- (18) "कार्य-क्रम" से अभिप्रेत है बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन तैयार किया गया वार्षिक आवासन कार्य-क्रम;
- (19) "विनियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 53 के अधीन बनाए गये विनियम;
- (20) "नियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन बनाए गये नियम;
- (21) "सचिव" से अभिप्रेत है बोर्ड का सचिव;
- (22) "न्यास" से अभिप्रेत है राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (अधिनियम 35, सन् 1959) की धारा 8 के अधीन स्थापित सुधार न्यास;
- (23) "वर्ष" से अभिप्रेत है 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष।

3. इस अधिनियम में प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित समस्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के से ही अर्थ होंगे जो राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (अधिनियम 35, सन् 1959)

या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम 38, सन् 1959) के अधीन उनके लिये निश्चित हैं—जैसे भी संदर्भ में सुसंगत हों।

अध्याय 2

बोर्ड की स्थापना

4. बोर्ड की स्थापना.—(1) राज्य सरकार, शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक बोर्ड, जो “राजस्थान आवासन बोर्ड” कहलायेगा और जिसे एतन्मिश्रित्वात् ‘बोर्ड’ कहा गया है, ऐसी तारीख से स्थापित कर सकेगी जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय।

(2) बोर्ड शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा रखने वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की, सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्यय न करने तथा संविदाएं करने की शक्ति होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगा और उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाये जा सकेंगे तथा वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक सारी बातें और कार्य कर सकेगा।

(3) इस अधिनियम तथा राजस्थान भूमि अधिप्राप्ति अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम 24, सन् 1953) के प्रयोजनों के लिये बोर्ड एक स्थानीय प्राधिकरण समझा जायगा।

स्पष्टीकरण.—उप-धारा (3) में निर्दिष्ट इस अधिनियम के प्रयोजनों में, इस अधिनियम के अधीन या उसके प्रयोजनों के लिये बोर्ड की या उसमें विनिर्दिष्ट भूमियों और भवनों का प्रबन्ध और उपयोग तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमियों और भवनों पर तथा उनके सम्बन्ध में उसके अधिकारों का प्रयोग सम्मिलित है।

5. बोर्ड का गठन.—(1) बोर्ड में, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

- | | |
|--|------------------|
| (क) वित्त आयुक्त, राजस्थान सरकार | पदेन सदस्य; |
| (ख) शासन सचिव, नगर आयोजना विभाग | पदेन सदस्य ; |
| (ग) मुख्य नगर आयोजक तथा वास्तु सलाहकार | पदेन सदस्य ; |
| (घ) बोर्ड का आवासन आयुक्त | पदेन सदस्य ; तथा |
| (ङ) सरकार द्वारा नियुक्त छः गैर सरकारी सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति का होगा। | |

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के नाम शासकीय राज-पत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

(3) बोर्ड का कोई गैर सरकारी सदस्य, राज्य सरकार को अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत कर अपना पद किसी समय त्याग सकता है:

परन्तु त्याग-पत्र तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि वह सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

(4) राज्य सरकार, शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष या ऐसे किसी अन्य सदस्य को अपने पद से हटा सकेगी जो—

(क) धारा 7 में वर्णित निरहंताओं में से किसी के अधीन है या हो चुका है, या

(ख) राज्य सरकार की राय में किसी अवचार या उपेक्षा का दोषी हो चुका है या उसने अपनी स्थिति का इस प्रकार घोर दुरुपयोग किया है कि उसे उसका सदस्य क रूप में बने रहना उसके या साधारण लोकहित में अपायकर हो जाय:

परन्तु कोई व्यक्ति पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे अपने हटाने जाने के विरुद्ध कारण बतलाने का अवसर न दिया जा चुका हो।

6. अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि.—(1) बोर्ड का अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्य, अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के रूप में, पद की स्थिति, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये अपना पद धारण करेंगे:

परन्तु अध्यक्ष या गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि दो वर्ष से अधिक प्राप्ति के लिये सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।

(2) अध्यक्ष और गैर सरकारी सदस्य अपनी पदावधि के पर्यन्तमान पर पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।

7. बोर्ड में नियुक्ति के लिये निरहंताएं.—(1) कोई भी व्यक्ति बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त लिये जान या बने रहने के लिये निरहं होगा, यदि वह—

(क) दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष हो चुका हो जिसमें नैतिक अधनता अन्तर्वलित है जब तक कि ऐसी दोषतिद्धि अपास्त न की जा चुकी हो;

(ख) अमुक्त दिवालिया है;

(ग) विकृत-चित्त है;

(घ) बोर्ड के अधीन कोई आफिसर या सेवक है;

(ङ) बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या नियोजन में तत्क्षतः या परोक्षतः, स्वयं या किसी भागीदार नियोजक या कर्मचारी द्वारा कोई अंश या हित रखता है; या

(च) किसी ऐसी निगमित कम्पनी का डायरेक्टर या सेक्रेटरी, मैनेजर या अन्य वेतन-भोगी आफिसर है जिसका कि बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित हो।

(2) तथापि, कोई भी व्यक्ति उप-धारा (1) के खंड (ड) या खंड (च) के अधीन निरह नहीं होगा या उन खंडों के अर्थान्तर्गत किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित रखने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जायगा कि वह या वह निगमित कम्पनी, जिसका कि वह डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर या अन्य वेतनभोगी आफिसर है—

- [1] स्थावर सम्पत्ति के किसी विक्रय, क्रय, पट्टे या विनिमय में या उसके लिये किसी करार में;
- [2] धन के ऋण के लिये किसी करार में या केवल धन के संदाय के लिये प्रतिभूति में;
- [3] किसी समाचारपत्र में जिसमें कि बोर्ड के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जाता है;
- [4] किसी एक वर्ष में दो हजार रुपये से अनधिक मूल्य की ऐसी किसी वस्तु के यदाकदा विक्रय में जिसका कि वह या वह निगमित कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती है;

अंश या हित रखती है।

(3) कोई भी व्यक्ति, केवल इस कारण से भी उप-धारा (1) के खंड (ड) या खंड (च) के अधीन निरह नहीं होगा या किसी ऐसी निगमित कम्पनी में, जो कि बोर्ड के साथ या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित रखती है, अंश या हित रखने वाला नहीं समझा जायगा कि वह उस कम्पनी का अंशधारी है।

परन्तु ऐसे व्यक्ति को सरकार के समक्ष अपने द्वारा धारण किये जाने वाले अंशों का प्रकार और परिमाण प्रकट करना होगा।

सूचीकरण.—उप-धारा (1) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष या आवासन आयुक्त को बोर्ड के अधीन कोई आफिसर या सेवक नहीं समझा जायगा।

8. अध्यक्ष और सदस्यों को पारिश्रमिक.—(1) अध्यक्ष को ऐसा पारिश्रमिक और भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत किये जायें।

(2) प्रत्येक सदस्य को ऐसे भत्ते प्राप्त होंगे जो सरकार द्वारा नियत किये जायें।

(3) सदस्यों को भत्ते और अध्यक्ष को पारिश्रमिक बोर्ड की तिथि में से संदत्त किया जायेगा।

9. अध्यक्ष की अनुपस्थिति-छुट्टी और कार्यन्तरी अध्यक्ष की नियुक्ति.—(1) सरकार अध्यक्ष को समय समय पर ऐसी छुट्टी अनुदत्त कर सकती जा नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो।

(2) जब भी कभी अध्यक्ष का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो तो सरकार उक्त रिक्ति की कालावधि के दौरान किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकेगी और उक्त व्यक्ति को ऐसा पारिश्रमिक और भत्ते संदत्त करेगी जो उसके द्वारा नियत किये गये हों। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष समझा जायेगा।

10. सदस्य की रिक्ति .—यदि कोई सदस्य,—

(क) धारा 7 में वर्णित निरहंताओं में से किसी के अध्यक्षीन आ जाय,

(ख) अपना त्याग-पत्र लिखित में सरकार को दे दे और उसे प्रतिग्रहीत कर लिया जाये, या

(ग) बोर्ड की अनुज्ञा के बिना ही बोर्ड की क्रमवर्ती तीन बैठकों से अनुपस्थित हो,

तो वह ऐसी तारीख से सदस्य नहीं रहेगा जो सरकार घोषित करे।

11. रिक्ति यथासाध्य शीघ्र भरी जायेगी .—बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य की कोई रिक्ति यथासाध्य शीघ्र भरी जायेगी और उक्त नियुक्ति की अवधि अध्यक्ष या यथास्थिति, सदस्य, की शेष अवधि के लिये होगी :

परन्तु उक्त किसी रिक्ति के दौरान, बने रहने वाले सदस्य ऐसे कार्य कर सकेंगे मानो कोई रिक्ति नहीं हुई थी।

12. कार्यवाहियों जो उचित और वैध उपधारित की जायेंगी :—बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई निरहंता या त्रुटि बोर्ड के किसी कार्य या कार्यवाही को प्रदूषित करने वाली नहीं समझी जायेगी यदि उक्त कार्य या कार्यवाही अन्यथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हैं।

13. सदस्यों की अस्थायी अनुपस्थिति .—यदि अध्यक्ष से भिन्न, बोर्ड का कोई सदस्य अंग शैथिल्य द्वारा या अन्यथा अपना कर्तव्य करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय या छुट्टी पर होने से या अन्यथा अनुपस्थित हो, जिसमें उसकी नियुक्ति का रिक्त होना अन्तर्बलित न हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन उसके कार्यवहन के लिये और उसके कृत्यों के कार्यान्वयन के लिये किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

14. आफिसरों और सेवकों की नियुक्ति और पदों का सृजन .—(1) बोर्ड में एक आवासन आयुक्त, एक वास्तुकार (Architect), एक सचिव, एक मुख्य लेखा अधिकारी और ऐसे अन्य आफिसर और सेवक होंगे जो बोर्ड अपने कृत्यों के दक्ष पालन के लिये आवश्यक समझे।

(2) आवासन आयुक्त, सचिव और मुख्य लेखा अधिकारी की नियुक्तियां बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अध्यक्षीन की जायेंगी और बोर्ड के अन्य आफिसरों और सेवकों की नियुक्तियां बोर्ड द्वारा की जायेंगी :

परन्तु बोर्ड ऐसे वेतनमान में किसी आफिसर को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त किये बिना नियुक्त नहीं करेगा जिसका कि अधिकतम एक हजार दो सौ रुपये मासिक से अधिक हो।

(3) बोर्ड को अपने स्थापन (एस्टेब्लिशमेंट) में किसी पद का सृजन करने की शक्ति प्राप्त होगी:

परन्तु राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना बोर्ड द्वारा ऐसा कोई नया पद सृजित नहीं किया जायगा जिसका वेतनमान प्रति माह एक हजार दो सौ रुपये से अधिक हो।

15. आफिसरों और सेवकों की सेवा की शर्तें.—बोर्ड के आवासन आयुक्त, सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी और बोर्ड के अन्य आफिसरों और सेवकों के पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विनियमों द्वारा अवधारित की जायें।

16. भविष्य निधि.—(1) राज्य सरकार बोर्ड के आवासन आयुक्त, सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी और अन्य आफिसरों और सेवकों के लिये एक भविष्य निधि स्थापित करेगी और उक्त भविष्य निधि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (केन्द्रीय अधिनियम 19, सन् 1925) के प्रयोजनार्थ उसकी धारा 8 में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकारी भविष्य निधि समझी जायगी, और उक्त निधि राज्य सरकार या बोर्ड के ऐसे आफिसरों द्वारा प्रशासित की जायगी जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(2) बोर्ड अपने उन कर्मचारियों में से प्रत्येक के संबंध में जो कि उक्त निधि का अभिदायक हैं, उक्त निधि में अभिदाय का ऐसा प्रभाग ऐसी रीति से संदत्त करेगा जो कि राज्य सरकार समय समय पर अवधारित करे।

17. स्थापन की अनुसूची का तैयार किया जाना और संधारण.—बोर्ड प्रत्येक वर्ष की मई के प्रथम दिन उस वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन के स्थापन की अनुसूची निम्नलिखित को वर्णित करते हुए तैयार और संधारित करेगा —

(1) आफिसरों और सेवकों (उन कर्मचारियों से भिन्न जिन्हें कि दैनिक संदाय किया जाता है या जिनका वेतन किसी अस्थायी काम पर प्रभारित होता है) जिन्हें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियोजित करना वह आवश्यक और उचित समझता है, की संख्या, पदाभिधान और वेतन ग्रेड और वेतनमान;

(2) बोर्ड द्वारा प्रत्येक आफिसर या सेवक को संदत्त किये जाने वाले सम्बलम (सैलेरी), फीस और भत्ते की रकम और प्रकार; और

(3) उक्त प्रत्येक आफिसर या सेवक के संबंध में बोर्ड द्वारा छुट्टी सम्बलम, पेन्शन, भविष्य निधि या अन्य किसी प्रयोजन के लिये संदत्त की जाने वाली रकम।

18. समस्त आफिसरों और सेवकों की आ-आप्य निरहता.—कोई भी व्यक्ति, जो किसी संविदा में, बोर्ड द्वारा या की ओर से, या बोर्ड के अधीन, द्वारा या की ओर से उसके आफिसर या सेवक के रूप में से अन्यथा किसी नियोजन में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वतः या अपन भागीदार या अभिर्ता (एजेंट) द्वारा, कोई अंश या हित रखता हो वह बोर्ड का आफिसर या सेवक नहीं होगा या रहेगा।

19. समितियों की नियुक्ति.—(1) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्याधीन बोर्ड समय समय पर अपने कृत्यों का दक्षनिर्वहण सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ और विशेषतः

यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उक्त कृत्यों का निर्वहण विशिष्ट स्थानीय क्षेत्रों की परिस्थितियों और अपेक्षाओं का सम्यक् ध्यान रखते हुए किया जाता है, एक या अधिक समितियां नियुक्त कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त कोई समिति उसे समनुदेशित कृत्यों का निर्वहण करने के लिये ऐसी रीति में एकत्र होगी जो कि बोर्ड द्वारा निदेशित की जायें।

कारबार संचालन

20. बोर्ड की बैठकें :—बोर्ड बैठक करेगा और अपनी बैठकों के दिन, समय, नोटिस, प्रबन्ध और स्थान के संबंध में निम्नलिखित उपबन्धों के अध्वधीन समय समय पर ऐसे इन्तजाम करेगा जो वह ठीक समझे, अर्थात् :—

(क) साधारण बैठकें प्रत्येक दो माह में एक बार आयोजित की जायगी;

(ख) अध्यक्ष जब भी ठीक समझे विशेष बैठकें बुला सकेगा;

(ग) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में, बैठक द्वारा उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिये चुने गये किसी सदस्य द्वारा की जायगी;

(घ) किसी बैठक में समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मतों की समानता की दशा में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा, और वह उसका प्रयोग करेगा; और

(ङ) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त उक्त प्रयोजन के लिये उपबन्धित की जाने वाली पुस्तिका में अभिलिखित किये जायेंगे।

21. व्यक्तियों का विशेष प्रयोजन के लिये बोर्ड के साथ अस्थायी सहयोजन :—(1) बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिये वह चाहे :

परन्तु इस प्रकार सहयुक्त व्यक्तियों की संख्या तीन से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी भी प्रयोजन के लिये उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड के साथ सहयुक्त किसी व्यक्ति को बोर्ड के उस प्रयोजन से संज्ञित विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अपने प्रतिनिधियों को ऐसे मदों या विषयों पर बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित होने और बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग लेने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगी, जो कि राज्य सरकार विनिश्चित करे, किन्तु ऐसे प्रतिनिधियों को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

22. संविदा करने की शक्ति :—(1) बोर्ड ऐसी समस्त संविदाएं कर सकेगा और संपादित कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक या समीचीन समझे।

23. संविदा का निष्पादन :—(1) बोर्ड की ओर से प्रत्येक संविदा अध्यक्ष द्वारा की जायेगी:

परन्तु—

(क) दस लाख या अधिक रूपयों का व्यय अन्तर्वलित करने वाली कोई संविदा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जायेगी; और

(ख) पांच हजार या अधिक रुपये का व्यय अन्तर्वहित करने वाली कोई संविदा, उपर्युक्त खंड (क) के अधधीन, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) किसी संविदा या प्राक्कलन के प्रत्येक फेरफार या परिवर्तन पर साथ ही मूल संविदा या प्राक्कलन पर भी लागू होगी।

24. बोर्ड की संविदा मंजूर करने की शक्ति का प्रत्यायोजन.—बोर्ड, ऐसे किसी नियम के अधधीन जो कि राज्य सरकार इस निमित्त बनाये, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि धारा 23 के अधधीन इसे प्रदत्त संविदा मंजूर करने की शक्ति का प्रयोग आवासन आयुक्त या उसके द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किसी अन्य आहिसर द्वारा किया जायगा।

25. संविदाओं के निष्पादन के संबंध में और उपबन्ध.—(1) बोर्ड की ओर से अध्यक्ष द्वारा की गई प्रत्येक संविदा, इस धारा के उपबन्धों के अधधीन ऐसी रीति से और रूप में की जायेगी जो विहित की जाये।

(2) इस धारा या तद्धीन बनाये गये नियमों में उपबन्धित रूप से निष्पादित नहीं की गयी संविदा बोर्ड पर बाध्यकर नहीं होगी।

अध्याय 3

आवासन स्कीम

26. आवासन स्कीम हाथ में लेने की बोर्ड की शक्तियां और शर्तें.—(1) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन और राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधधीन समय समय पर ऐसी आवासन स्कीम बनाने और निष्पादित करने, जो वह आवश्यक समझे, के लिये व्यय उपगत कर सकेगा और ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें यह अधिनियम लागू है संकर्म हाथ में ले सकेगा।

(2) ऐसी स्कीम निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की, या उक्त किन्हीं दो या अधिक प्रकारों के समुच्चय या उनके किन्हीं विशेष स्वरूप की हो सकेंगी, अर्थात् :—

(क) गृह व्यवस्थाहीन जातमें अनुपुचित जातों, अनुपुचित जन जातियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिये विशेष महत्व दिया जाय।

(ख) पुनर्निर्माण स्कीम;

(ग) पुनरावासन या पुनर्वासि स्कीम;

(घ) नगर या शहर या ग्राम विस्तार स्कीम;

(ङ) वाणिज्यिक या वाणिज्यिक एवं निवासीय स्कीम;

(च) नगर नवीकरण स्कीम जिसमें गन्दी बस्ती निर्मूलन या गन्दी बस्ती सुधार स्कीम सम्मिलित है;

(छ) साहाय्यित श्रौद्योगिक आवासन स्कीम; या

(ज) राज्य सरकार के अनुमोदन से अन्य कोई स्कीम ।

(3) राज्य सरकार, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जैसी वह लगाना उचित समझे, बोर्ड को कोई आवासन स्कीम चाहे वह इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित है या नहीं, को विरचित करने तथा निष्पादित करने के लिये सौंप सकती है, तथा बोर्ड तत्पश्चात् ऐसी स्कीम को विरचना तथा निष्पादन को ऐसे लेगा माने कि वह इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित की गयी थी ।

(4) बोर्ड, ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर जैसी करार पाई जाएं और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी आवासन स्कीम को, स्थानीय प्राधिकारी या सहकारी समिति की ओर से या किसी नियोजक की ओर से जबकि गृह मुख्यतः उसके कर्मचारियों के निवास के लिये निर्मित किये जाने हों, निष्पादन के लिये ले सकेगा, तथा बोर्ड ऐसी स्कीम को उसी प्रकार निष्पादित करेगा माने कि वह इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित थी ।

27. प्रस्थापित स्कीम क्षेत्र में नए सन्निर्माणों या परिवर्धनों या परिवर्तनों पर रोक .—

बोर्ड, या तो स्वतः अथवा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के आवेदन पर, ज्योंही किसी स्कीम को विरचित तथा निष्पादित करने का निश्चय करे, राज्य सरकार, बोर्ड के अनुरोध पर, स्कीम के विवरण और विनिदेशों को सम्मिलित करते हुए तथा यह घोषित करते हुए कि बोर्ड ने स्कीम बनाने तथा निष्पादित करने का निश्चय कर लिया है, शासकीय राज-पत्र में एक अधिसूचना, साथ ही साथ एक नोटिस जिसमें प्रत्येक हितधारी व्यक्ति को स्कीम के विस्तृत रेखांक (प्लान) और विनिदेश (स्पेसिफिकेशन्स) बोर्ड के कार्यालय में, नोटिस के प्रकाशन से एक महीने के भीतर किसी भी कार्य दिवस को, देखने के लिये आमन्त्रित किया गया हो, प्रकाशित कर सकेगी तथा उक्त अधिसूचना, साथ ही साथ यथा पूर्वोक्त नोटिस के प्रकाशित होने पर कोई भी व्यक्ति बोर्ड की लिखित अनुज्ञा के बिना स्कीम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में विद्यमान किसी संरचना में कोई नया सन्निर्माण, परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा ।

28. आवासन स्कीमों द्वारा उपबन्धित किये जाने वाले विषय .—तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई आवासन स्कीम निम्नलिखित समस्त या किन्हीं मामलों के संबंध में उपबन्ध कर सकेगी. अर्थात्:—

(क) स्कीम के निष्पादन के लिये आवश्यक या उससे प्रभावित किसी सम्पत्ति का क्रय विनिमय द्वारा या अन्यथा अर्जन;

(ख) स्कीम में समाविष्ट किसी भूमि का अभिन्यास या पुनः अभिन्यास;

(ग) स्कीम में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों से संबंधित स्थल का वितरण या पुनः वितरण;

(घ) मानव निवास के अयोग्य निवास-गृहों या निवास-गृहों के भागों को बन्द करना या तोड़ना ;

(ड.) गंधक निर्माणों या निर्माणों के भागों को तोड़ना;

(च) निर्माणों का सन्निर्माण तथा पुनः सन्निर्माण;

(छ) स्कीम में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय, भाड़े पर दिया जाना या विनिमय;

(ज) मार्गों तथा पीछे की गलियों का सन्निर्माण तथा परिवर्तन ;

(झ) मूल प्लॉट की सीमाओं के परिवर्तन द्वारा पुनर्गठित प्लॉट की विरचना;

(ञ) आवासन स्कीम को अग्रसर करने में अपनी भूमि में बँटवजा हुए स्वामी को किसी प्लॉट का आवंटन;

(ट) किसी प्लॉट के स्वामित्व का एक व्यक्ति से दूसरे को अन्तरण;

(ठ) विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित दो या अधिक प्लॉटों का उनकी सीमाएं बदले बिना एक प्लॉट में पुनर्गठन तथा मूल प्लॉटों के स्वामियों की सम्पत्ति से उनको संयुक्त सम्पत्ति बनाना;

(ड) स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र के लिये जल निकास, जल प्रदाय तथा प्रकाश का उप-बन्ध;

(ढ) स्कीम में समाविष्ट किसी क्षेत्र या उससे लगे हुए किन्हीं क्षेत्रों के फायदे के लिये पार्कों, खेल के मैदानों और खुले स्थानों, तथा विद्यमान पार्कों, खेल के मैदानों, खुले स्थानों और प्रवेश मार्गों को बड़ा करना;

(ण) स्कीम में बाजारों, उद्यानों, खेल के मैदानों, स्कूलों, डिस्पेन्सरियों, अस्पतालों तथा अन्य सुख-सुविधाओं के लिये भूमियों का उपादेयकरण और आरक्षण;

(त) बोर्ड परिसर का भाड़े पर दिया जाना, प्रबन्ध और उपयोग ;

(थ) स्कीम में समाविष्ट क्षेत्र के लिये अपेक्षित स्वच्छता के इन्तजाम का उपबन्ध करना जिसमें नदियों या जल प्रदाय के अन्य स्रोतों तथा साधनों का संरक्षण तथा उनको किसी क्षति या दूषण से निवारित करना, सम्मिलित है ;

(द) किसी भी वर्ग के निवासियों के लिये वास-सुविधा का उपबन्ध ;

(ध) स्कीम के प्रयोजनार्थ धन का अग्रिम ;

(न) संचार और परिवहन की सुविधाओं का उपबन्ध ;

(प) ऐसी सूचनाओं तथा आंकड़ों का संग्रहण जैसी कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों;

(फ) कोई अन्य मामला जिसके लिए राज्य सरकार की राय में, आवासन सुविधा के तथा स्कीम में समाविष्ट किसी क्षेत्र या लगे हुए किसी क्षेत्र के सुधार या विकास के या स्कीम की साधारण दक्षता के लिए उपबन्ध करने की दृष्टि से, उपबन्ध करना समीचीन है।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, बोर्ड की सिफारिश पर, शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा आवासन स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र के आसपास या लगे हुए क्षेत्र को लगा हुआ क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

29. **बोर्ड को बजट प्रस्तुत करना.**—(1) अध्यक्ष, प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में की जाने वाली विशेष बैठक में बोर्ड के समक्ष, अगले वर्ष का बोर्ड का बजट प्रस्तुत करेगा।

(2) उक्त प्रत्येक बजट ऐसे प्ररूप में तैयार किया जायगा जैसा विहित किया जाए तथा निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करेगा :—

[1] आवासन स्कीम, जिसे बोर्ड अगले वर्ष आगतः या पूर्णतः निष्पादित करना प्रख्यापित करता है,

[2] बोर्ड के समस्त दायित्वों की सम्यक पूर्ति, तथा

[3] इस अधिनियम का दक्ष प्रशासन,

तथा उसमें अगले वर्ष के लिए पूंजीगत तथा राजस्व लेखों पर प्राक्कलित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण, तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जो विहित की जाएं।

30. **बजट को बोर्ड की मंजूरी.**—बोर्ड, अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन उसके समक्ष प्रस्तुत बजट पर विचार करेगा तथा उसे उपान्तरणों सहित या बिना उपान्तरण के मंजूर करेगा।

31. **मंजूर किया गया बजट राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना.**—

(1) अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया प्रत्येक बजट अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। बजट की प्राप्ति के पश्चात् दो महीने के भीतर राज्य सरकार बोर्ड द्वारा मंजूर बजट का अनुमोदन कर सकेगी या उसे बोर्ड को उसमें ऐसे उपान्तरण करने के लिए वापस भेज सकेगी जो राज्य सरकार ठीक समझे।

(2) जहां कोई बजट राज्य सरकार द्वारा उसमें कोई उपान्तरण करने के लिए बोर्ड को वापस भेजा जाए तो बोर्ड तत्काल ऐसे उपान्तरण करेगा तथा इस प्रकार उपान्तरित बजट को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जो उसे तब अनुमोदित कर सकेगी।

32. **अनुपूरक बजट.**—अध्यक्ष, उस वर्ष के दौरान जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमोदित किया गया है, किसी भी समय, बोर्ड के समक्ष एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर सकेगी तथा धारा 28, 29, 30 और 31 के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक बजट पर लागू होंगे।

33. आवासन स्कीमों का प्रकाशन और निष्पादन.—राज्य सरकार द्वारा बजट का अनुमोदन किये जाने के पश्चात्, यदि उन आवासन स्कीमों को जिनके बारे में बजट में उपबन्ध किया गया है, शासकीय राज-पत्र में ऐसी रीति से प्रकाशित कराएगा जैसी विहित की जाए तथा स्कीमों को निष्पादित करने को अप्रसर होगा।

34. आवासन स्कीमों का फेरफार.—बोर्ड, किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट में सम्मिलित आवासन स्कीमों में या उनके किसी भाग में फेरफार कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई फेरफार, जिसमें किसी आवासन स्कीम के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट में यथा सम्मिलित रकम के 10 प्रतिशत से अधिक का व्यय अन्तर्वर्तित हो या वह उक्त स्कीम के विस्तार या प्रयोजन को प्रभावित करता हो, नहीं किया जायगा।

35. स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि का आवासन स्कीम के प्रयोजनार्थ बोर्ड को अन्तरण.—(1) जब कभी, किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी क्षेत्र में स्थित तथा स्थानीय प्राधिकरण में निहित कोई मार्ग, चौक या अन्य भूमि या उसका कोई भाग, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट में सम्मिलित किसी आवासन स्कीम के प्रयोजनार्थ अधीन हो तो बोर्ड संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को अपेक्षित मार्ग, चौक या अन्य भूमि या उसके किसी भाग, यथास्थिति, को उसे अन्तरित करने का नोटिस देगा।

(2) जहां स्थानीय प्राधिकरण सहमत हो वहां ऐसा मार्ग, चौक या अन्य भूमि या उसका भाग बोर्ड में निहित होगा।

(3) जहां कहीं कोई विवाद हो तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा। राज्य सरकार, संबंधित प्राधिकरण की सुनवाई करने के पश्चात्, मामले को विनिश्चित करेगी। राज्य सरकार का निश्चय अन्तिम होगा। यदि राज्य सरकार विनिश्चित करती है कि ऐसा मार्ग, चौक या भूमि या उसका भाग बोर्ड में निहित होगा तो वह तदनुसार निहित होगा।

(4) इस धारा की उप-धारा (2) या (3) के अधीन, मार्ग, चौक, भूमि या उसके भाग का निहित होना शासकीय राज-पत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

(5) इस धारा की कोई बात, उक्त मार्ग, चौक या भूमि के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्यों और बाध्यताओं पर प्रभाव नहीं डालेगी तथा सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण इस धारा के अधीन बोर्ड में निहित भूमि में, इस प्रकार निहित होने पर भी, प्रायः उसके द्वारा उपबन्धित सार्वजनिक नगरपालिका-सेवाएं प्रदान करने का दायी होगा।

36. बोर्ड में निहित, लोकमार्ग को मोड़ने या बन्द करने की, शक्ति.—(1) बोर्ड, उसको अन्तरित किसी लोकमार्ग या उसके किसी भाग को मोड़ सकेगा, धुना सकेगा, उसका लोक उपयोग बन्द कर सकेगा या उसे स्थायी रूप से बन्द कर सकेगा।

(2) जब कभी बोर्ड उसमें निहित किसी लोकमार्ग या उसके किसी भाग के लोक उपयोग को बन्द करता है या उसे स्थायी रूप से बन्द कर देता है, तो वह यावत्साध्य उस मार्ग या

उसके भाग के उपयोग के लिये हकदार व्यक्तियों के लिए बदले में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए वहाँ पहुँचने का कोई अन्य युक्तियुक्त मार्ग प्रदान करेगा।

(3) जब बोर्ड में निहित कोई लोक मार्ग उप-धारा (1) के अधीन स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाए तो बोर्ड उसमें से इतना भाग बेच सकेगा या पट्टे पर दे सकेगा जो और प्रागे अपेक्षित न हो।

37. आवासन स्कीम के अधीन बोर्ड द्वारा अभिन्यस्त या परिवर्तित मार्गों तथा उप-बन्धित खुले स्थान का स्थानीय प्राधिकरण में निहित होना—(1) जब भी राज्य सरकार का समाधान हो जाता है—

- (क) कि बोर्ड द्वारा अभिन्यस्त या परिवर्तित कोई मार्ग सम्पूर्ण रूप से समतल किया जा चुका है, उसमें पत्थर जड़ दिये गये हैं, उसे पक्का कर दिया गया है, चिह्नित कर दिया गया है, उसमें नालियाँ बना दी गई हैं, उसमें मल प्रणाल और जलस्रोतों की व्यवस्था कर दी गई है जैसा कि धारा 31 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी आवासन स्कीम द्वारा अपेक्षित है,
- (ख) कि ऐसे लैम्प, लैम्प पोस्ट तथा अन्य साधन जिन्हें सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण उक्त मार्ग को प्रकाशमान करने के लिए आवश्यक समझता है तथा जिन्हें बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाना चाहिये, इस प्रकार प्रदान कर दिये गए हैं, तथा
- (ग) कि उक्त मार्ग में जल तथा अन्य स्वच्छता सुविधाएँ सम्यक् रूप से उपबन्धित कर दी गई हैं;

तो राज्य सरकार उस मार्ग को लोक मार्ग होना घोषित कर सकेगी, तथा तब वह मार्ग संबंधित स्थानीय प्राधिकरण में निहित होगा तथा तब से संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जायेगा और उसे मरम्मत शुदा, प्रकाशमान तथा साफ रखा जायेगा।

(2) जहाँ किसी आवासन स्कीम के निष्पादन में बोर्ड द्वारा संवातन या मनोरंजन के प्रयोजनार्थ कोई खुला स्थान उपबन्धित किया गया है तो स्कीम के पूरे होने पर बोर्ड स्वयं के विकल्प पर, ऐसे खुले स्थान को संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को संकल्प द्वारा अन्तरित कर सकेगा तथा तत्पश्चात् ऐसा खुला स्थान स्थानीय प्राधिकरण में निहित होगा तथा उसके खर्च से संचालित किया जाएगा।

परन्तु किसी ऐसे खुले स्थान को इस प्रकार अन्तरित करने से पहले स्थानीय प्राधिकरण बोर्ड से उक्त खुले स्थान की अहाताबन्दी करने, घास समतल करने, उसमें नालियाँ बनाने तथा ऐसे स्थान का अभिन्यसन करने तथा उसमें फुटपाथ बनवाने और यदि आवश्यक हो तो उसको प्रकाशमान करने के लिए लैम्प और अन्य साधनों का उपबन्ध करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) यदि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में बोर्ड और स्थानीय प्राधिकरण के बीच कोई मतभेद उठ खड़ा हो तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

38. बोर्ड के अन्य कर्तव्य.—(1) बोर्ड को परिसर को संधारित करने, आवंटित करने, पट्टे पर देने तथा अन्यथा प्रयोग करने के लिये आवश्यक अध्युपाय करना तथा उसके संबंध में भाटक, प्रतिकर और नुकसानी संग्रहीत करना, बोर्ड का कर्तव्य होगा।

(2) बोर्ड—

(1) जब राज्य सरकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करे, राज्य सरकार को तकनीकी सलाह प्रदान कर सकेगा तथा उन क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम का विस्तार है आवासन स्कीमों के अधीन परियोजनाओं की संवीक्षा कर सकेगा;

(2) सामान्यतः आवासन से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर गवेषण तथा विशेषतः स्थानीय दशाओं के अनुकूल गृह सन्निमित्त करने का मितव्ययिता पूर्ण तरीका ढूँढ निकालने के कार्य हाथ में ले सकेगा;

(3) आवासन की समस्याओं का व्यापक सर्वेक्षण कार्य हाथ में ले सकेगा; तथा,

(1) [क] निर्माण सामग्री के एकीकरण, सरलीकरण तथा मानकीकरण के लिए;
[ख] आवासन घटकों के पूर्व गठन और बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये;

[ग] निवासीय या अनिवासीय गृहों के लिये निर्माण सामग्री के उत्पादन को संगठित करने तथा हाथ में लेने के लिए;

[घ] निर्माणों के सन्निर्माण के कार्य में प्रशिक्षित कर्मचारों के सतत् और पर्याप्त प्रदाय सुनिश्चित करने के लिये—

सब कुछ कर सकेगा।

39. धारा 29 से 34 तक के उपबन्धों से स्कीम को छूट देने की शक्ति.—राज्य सरकार शासकीय राज-पत्र में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा बोर्ड द्वारा हाथ में ली गई किसी आवासन स्कीम को धारा 29 से 34 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) तक के समस्त या किसी उपबन्ध से, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो वह अधिरोपित करे, छूट दे सकेगी या निदेश दे सकेगी कि ऐसा कोई उपबन्ध ऐसी स्कीम पर ऐसे उपान्तरणों सहित लागू होगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाएं।

अध्याय 4

वित्त, लेखे तथा अंकेक्षण

40. बोर्ड की निधि.—(1) बोर्ड की अपनी स्वयं की निधि होगी।

(2) बोर्ड इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये या उनमें से किसी के लिये केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यक्ति से या निकाय से जो चाहे निगमित हो या न हो, अनुदान, अर्थ साहाय्य, संधान तथा दान प्रतिगृहित कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार, बोर्ड को उसके प्रशासनिक व्ययों के समतुल्य राशि का प्रति वर्ष अनुदान दे सकेगी :

परन्तु ऐसे अनुदान की राशि उस सीमा तक कम या बन्द की जा सकेगी जहां तक कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति के आधार पर की जा सके ।

(4) इस अधिनियम के आधार पर, बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त प्राप्त समस्त धन राशियां बोर्ड द्वारा भूमि अथवा किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति के सम्पूर्ण आगमों, समस्त भाटकों, तथा सम्पूर्ण व्याज, लाभों तथा बोर्ड को प्रोद्भूत अन्य धनों, से बोर्ड की निधि बनेगी ।

(5) सिवाय उसके कि जैसा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित है, पूर्वागामी उपबन्धों में विनिर्दिष्ट समस्त राशियां तथा प्राप्तियां जो बोर्ड की निधि का एक भाग हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य अनुसूचित बैंक में निक्षिप्त कराई जायेंगी या ऐसी प्रतिभूतियों में विनियोजित की जायेंगी जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायें ।

(6) उक्त लेख, ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रचालित किया जायगा जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किये जायें ।

41. निधि का उपयोग.—बोर्ड में निहित समस्त सम्पत्ति, निधि तथा अन्य समस्त परिसम्पत्, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्वधीन तथा तत्प्रयोजनार्थ उसी द्वारा धारण तथा उपयोजित किये जायेंगे ।

42. आत्यन्तिकता की दशा में व्यय.—(1) जहां बोर्ड की राय में, अत्यन्त आत्यन्तिकता की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, बोर्ड द्वारा, किसी भी वर्ष में,—

(क) पच्चीस हजार रुपये से अनधिक अनावर्ती खर्च, तथा

(ख) एक लाख रुपये से अनधिक अनावर्ती खर्च, किया जाना विध्यनुकूल होगा ।

(2) जहां कोई राशि, अत्यन्त आत्यन्तिकता की परिस्थितियों में, जैसा कि उप-धारा (1) में उपबन्धित है, खर्च की गई हो वहां इस संबंध में बोर्ड द्वारा एक रिपोर्ट, आवत्साध्य शीघ्र राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी जिसमें उस खर्च का उल्लेख होगा जिसमें से इस व्यय को पूरा करना प्रस्थापित किया जाता है ।

43. बोर्ड को अर्थ साहाय्य तथा ऋण.—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बोर्ड को समय-समय पर, अर्थ साहाय्य, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो कि राज्य सरकार अवधारित करे, दे सकेगी ।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर, बोर्ड को, ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर जैसी वे राज्य सरकार अवधारित करे, और जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उधार सकेगी ।

44. बोर्ड की उधार लेने की शक्ति.—(1) बोर्ड, समय समय पर, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के और इस संबंध में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसी कोई भी राशि जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, उधार ले सकेगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम, बोर्ड को, डिबेंचर जारी करके उधार लेने तथा बैंकों या भारतीय जीवन बीमा निगम से व्यवस्था करने के लिये सशक्त कर सकेंगे।

(3) बोर्ड द्वारा जारी किये गये सस्ते डिबेंचर, ऐसे प्ररूप में होंगे जो बोर्ड द्वारा, समय समय पर, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से अवधारित किया जाय।

(4) प्रत्येक डिबेंचर पर अध्यक्ष तथा बोर्ड का एक अन्य सदस्य हस्ताक्षर करेगा।

(5) इस धारा के अधीन लिए गये उधारों तथा जारी किये गये डिबेंचरों, के मूल-धन के प्रतिसंधाय एवं ऐसी दर जैसी राज्य सरकार नियत करे पर ब्याज के संभाय के लिये, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी जा सकती।

45. लेखे तथा संपरीक्षा.—(1) बोर्ड, समुचित लेखा पुस्तकों तथा नियमों द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य पुस्तकों का व्यवस्थापन करवायेगा और नियमों के अनुसार लेखे का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) आवासन बोर्ड के लिये, समय समय पर, प्रत्येक वर्ष में एक बार, राजस्थान स्थानीय विधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम 28 सन् 1954) के उपबन्धों के अनुसरण में स्वामी विधि संपरीक्षा के लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे।

(3) ज्योंही बोर्ड के लेखे संपरीक्षित हो जाते हैं, बोर्ड, संपरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सहित उसकी एक प्रतिलिपि सरकार को भेजेगा और लेखे विहित रीति में प्रकाशित करायेगा और उनकी प्रतिवा युक्तियुक्त मूल्य पर विक्रय के लिये रखेगा।

(4) बोर्ड ऐसे निदेशों का, जो राज्य सरकार संपरीक्षक के प्रतिवेदन के परिशीलन के पश्चात् जारी करना उचित समझे, पालन करेगा।

46. लेखों की समीक्षा तथा विशेष संपरीक्षा.—(1) धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार आदेश दे सकती कि बोर्ड के लेखों की समीक्षा संपरीक्षा, ऐसे व्यक्ति जैसा कि वह उचित समझे, द्वारा होगी। राज्य सरकार बोर्ड के किसी विशिष्ट संव्यवहार अथवा संव्यवहार के वर्ग अथवा वर्गों के अथवा किसी विशिष्ट कालावधि से संबंधित लेखों की विशेष संपरीक्षा ऐसे व्यक्ति, जैसा कि वह उचित समझे, द्वारा किये जाने का निदेश भी कर सकती।

(2) जब उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाय तो बोर्ड, उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति को संपरीक्षा के लिये ऐसे लेखे प्रस्तुत करेगा अथवा करवायेगा तथा ऐसी इतिहास देगा, जैसी कि उस व्यक्ति के लेखा-संपरीक्षा के प्रयोजनार्थ अपेक्षा

करे, और ऐसे व्यक्ति द्वारा बताई गई त्रुटियों का जवाब राज्य सरकार द्वारा उचित उपचार कर दिया जाय, उपचार करेगा अथवा उपचार करवायेगा।

अध्याय 3

प्रयोग

47. रिपोर्ट.--(1) बोर्ड, ऐसी तारीख से पूर्व तथा ऐसे प्रारूप में तथा समय के ऐसे अन्तरालों पर जैसे विहित किये जायें, राज्य सरकार का ऐसे विषयों पर जैसे कि विहित किये जायें, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, यथासम्भव शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत करायेगी।

48. अन्य विवरण तथा विवरणियां.--बोर्ड राज्य सरकार की, किसी प्रस्थापित अथवा विद्यमान स्कीम के बारे में अथवा किसी विषय अथवा बोर्ड के कार्यकरण से संसक्त कार्य-वाहियों से सम्बन्धित आंकड़ों, विवरणियों, गतिविधियों विवरण, दस्तावेज अथवा कागजात भी ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति से, जैसी विहित की जायें, अथवा जैसी सचिवसमय पर राज्य सरकार निदेश करे, प्रस्तुत करेगा।

49. प्रवेश की शक्ति.--अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा पूर्णतः या विशेषतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सहायकों या कर्मचारियों के साथ या उनके बिना, किसी भूमि में या भूमि पर,—

- (क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच करने के लिये;
- (ख) तल मापने के लिये;
- (ग) अधोभूमि में खोदने या छिद्र करने के लिये;
- (घ) सीमारेखा तथा निर्माण-कार्य की आशयित रेखाएं बनाने के लिये;
- (ङ) ऐसे तल, सीमा तथा निर्माण-कार्य की रेखाएं बनाने और खाइयां खोदने के लिए;
या
- (च) कोई अन्य बात करने के लिये;

जब कभी इस अधिनियम के या तदधीन बनाये गये किसी नियम या स्वीकृत स्कीम के प्रयोजनों में से किसी के लिये आवश्यक है, प्रवेश कर सकेगा :

परन्तु—

- (1) ऐसा कोई प्रवेश सूर्यास्त तथा सूर्यादय के बीच नहीं किया जायगा;
- (2) किसी निवास-गृह तथा कोई लोक-गृह जो निवास-स्थान के स्तर में उपयोग होता है में, उसके अधिभोगी की सन्तति के बिना तथा उक्त अधिभोगी को ऐसे प्रवेश के आशय का कम से कम चौबीस घंटे पूर्व लिखित नोटिस दिये बिना, ऐसा प्रवेश नहीं किया जायेगा;
- (3) तब भी जब किसी परिसर में अन्यथा बिना नोटिस प्रवेश किया जाये, तो प्रत्येक बार स्त्रियों के लिये उपयुक्त कमरे में रहने वाले को परिसर के उस भाग में

जहां उनकी एकान्तता विक्षुब्ध नहीं हो हट जाने के लिये पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा; तथा

- (4) जिस परिसर में प्रवेश किया जाय उसके अधिभोगियों की सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का उस प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं के यावत्शक्य अनुरूप जिसके लिये प्रवेश किया जाय, सर्वैव सम्यक् ध्यान रखना होगा।

50. बोर्ड के विरुद्ध बाद का नोटिस.—इस अधिनियम के अनुसरण में की गई या की हुई तात्पर्यित किसी बात के लिये, कोई व्यक्ति, बोर्ड के विरुद्ध या बोर्ड के किसी अधिकारी या सेवक के, या बोर्ड के आदेशों के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध, कोई वाद, उक्त बोर्ड, अधिकारी या सेवक या व्यक्ति को, आशयित बाद तथा उसके हेतुक का लिखित में दो माह का पूर्व नोटिस दिये बिना, और जिस कार्य के विरुद्ध परिवेदना की गई हो, उसकी तारीख से छः मास के पश्चात्, प्रारंभ नहीं करेगा।

51. बोर्ड की आस्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन.—बोर्ड, प्रत्येक पांच वर्षों के अन्त में, अपनी आस्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन राज्य सरकार के अनुमोदन से नियुक्त किये गये मूल्यांकक द्वारा करायेगा:

परन्तु राज्य सरकार जब भी आवश्यक समझे, मूल्यांकन किये जाने के निदेश दे सकेगी।

52. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये या उनमें से किसी के लिए बनाये जा सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) सदस्यों के भत्ते और अध्यक्ष का पारिश्रमिक एवं सेवा की शर्तें;
- (ख) धारा 16 के अधीन स्थापित भविष्य निधि के चन्दे और अभिदाय की दरें तथा अन्य शर्तें;
- (ग) रीति तथा प्ररूप जिनमें धारा 25 के अधीन संविदा की जायेंगी;
- (घ) धारा 29 के अधीन बोर्ड के सामने रखे जाने वाले वार्षिक बजट का प्ररूप और उसमें अन्तर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां;
- (ङ) बजट में धारा 33 के अधीन सम्मिलित आवासन स्कीमों के प्रकाशन की रीति;
- (च) शर्तें जिनके अधीन बोर्ड धारा 44 के अधीन कोई रकम उधार ले सकेगा;
- (छ) धारा 45 के अधीन लेखे तैयार करने, रखने और उनके प्रकाशन की रीति;

- (ज) तारीख जिसके पूर्व, प्ररूप जिसमें, समय के अन्तराल जिनकी समाप्ति पर और मामले जिन पर धारा 47 के अधीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे;
- (झ) समय जिस पर तथा प्ररूप और रीति जिसमें धारा 48 के अधीन आंशिक, विवरणियों, विशिष्टियां, विवरण, दस्तावेज तथा कागजात प्रस्तुत किये जायेंगे;
- (ञ) रीति जिसमें धारा 61 के अधीन बोर्ड अतिष्ठित और पुनर्गठित किया जायेगा और
- (ट) अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन विहित हैं या किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष, उस समय, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर चौदह दिन की कालावधि के लिये, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जावेंगे और यदि उस सत्र जिसमें वे ऐसे रखे गये हों, या ठीक पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान मण्डल का सदन उक्त नियमों में कोई उपान्तरण करे या संश्लेष करे कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे नियम, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होंगे या उनका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलीकरण तदधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

53. विनियम बनाने की शक्ति.—(1) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, समय समय पर, इस अधिनियम से और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों से संगत, विनियम बना सकेगा—

- (क) किसी आवासन स्कीम के अधीन सन्निहित भवनों के प्रबन्ध और उपयोग के लिए;
- (ख) वासगृहों तथा परिसरों के आवण्टन में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त;
- (ग) धारा 15 के अधीन आवासन आयुक्त तथा बोर्ड के अन्य आफिसरों और सेवकों का पारिश्रमिक एवं उनकी सेवाओं की शर्तें;
- (घ) अपनी प्रक्रिया के विनियमन और अपने कामकाज के निपटारे के लिये।

(2) यदि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में कोई विनियम बनाने या उक्त उप-धारा के अधीन बनाये गये किसी विनियम में संशोधन करना आवश्यक या वांछनीय है तो वह बोर्ड से, ऐसे समय में जैसा वह विनिर्दिष्ट करे उक्त विनियम बनाने या संशोधन करने की अपेक्षा कर सकेगी। यदि बोर्ड, विनिर्दिष्ट समय में उक्त विनियम बनाने या संशोधन करने में असफल रहता है तो राज्य सरकार स्वयं ऐसा विनियम बना या संशोधन कर सकेगी और इस प्रकार बनाया गया विनियम या किया गया संशोधन उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा बनाया या किया हुआ समझा जायगा।

54. उपविधियां बनाने की शक्ति.—(1) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों का पालन करने के लिए उपविधियां, जो इस अधिनियम से असंगत न हों, बना सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधि में उपबन्ध हो सकेगा कि उसका उल्लंघन अपराध होगा।

(3) इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम 38 सन् 1959) के अधीन बनाई गई उपविधि के अन्तर्गत क किसी मामले के लिए उपबन्ध कर सकेगी और ऐसी उपविधि के प्रकाशन पर, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 90 के अधीन बनाई गई कोई उपविधि, इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधि के अन्तर्गत मामलों के बारे में, जहां ऐसी उपविधि लागू होगी उस क्षेत्र में, प्रभाव नहीं रखेगी।

(4) बोर्ड द्वारा बनाई गई कोई भी उपविधि तब तक प्रवृत्त नहीं होगी, जब तक राज्य सरकार द्वारा उपान्तरण सहित या के बिना उसकी पुष्टि नहीं कर दी गई है।

(5) इस धारा के अधीन बनाई गई समस्त उपविधियां शासकीय राज-पत्र में प्रकाशित की जायेंगी।

55. उपविधियों के उल्लंघन के लिये शास्ति.—जो कोई धारा 54 के अधीन बनाई गई किसी उपविधि का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

56. बाधा डालने के लिये शास्ति.—यदि कोई व्यक्ति—

(क) कि सी ऐसे व्यक्ति, जिसके साथ बोर्ड ने कोई सन्निदा की है, के द्वारा अपने कर्तव्य के या किसी बात को करने के लिये वह इस अधिनियम के अधीन सशक्त है या उससे करने की प्रेरणा की जाती है, के पालन या निष्पादन में बाधा पहुंचाता है, या देड़ठाड़ करता है, या

(ख) किसी तल को या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक निदेश उपदिशित करने के प्रयोजन के लिये लगाये गये किसी विन्ह को हटाता है,

तो दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

57. अभियोजन के लिये प्राधिकार.—जब तक अन्यथा अभिव्यक्ततः उपबन्धित न हो, बोर्ड या इस संबंध में किसी सान्त्व या विशेष आदेश द्वारा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की शिकायत, या उससे प्राप्त सूचना पर के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का कोई न्यायालय संज्ञान नहीं करेगा।

58. बोर्ड के सदस्य, ऑफिसर तथा सेवर लोक सेवर होंगे.—इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में कार्य कर रहे या कार्य करने का तात्पर्य बोर्ड के समस्त

सदस्य, ऑफिसर तथा सेवक, भारतीय दण्ड संहिता (केन्द्रीय अधिनियम 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझे जायेंगे।

59. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण. — इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

60. सरकार को बोर्ड को निदेश देने की शक्ति. — राज्य सरकार बोर्ड को ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्विष्ट करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों, और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना बोर्ड का कर्तव्य होगा।

61. कर्तव्य के पालन में व्यतिक्रम. — (1) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि बोर्ड ने इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरक्षित किसी भी कर्तव्य के पालन में व्यतिक्रम किया है तो वह उस कर्तव्य के पालन के लिए एक अवधि निर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) यदि राज्य सरकार की राय में बोर्ड ऐसे कर्तव्य के पालन में, उसके पालन करने के लिए इस प्रकार नियत अवधि के भीतर, असफल रहता है या उसकी उपेक्षा करता है तो, धारा 6 में किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के लिखे विहित रीति से बोर्ड को अतिष्ठित और पुनर्गठित करना विधिपूर्ण होगा।

(3) बोर्ड को अतिष्ठित होने के पश्चात् तथा जब तक वह पुनर्गठित न हो जाय तब तक इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य राज्य सरकार के द्वारा या ऐसे ऑफिसर या ऑफिसरों द्वारा जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार नियुक्त करे, किये जायेंगे।

62. बोर्ड का विघटन. — (1) राज्य सरकार, शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि, उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, बोर्ड विघटित हो जायगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से—

(क) समस्त संपत्तियाँ, निधियाँ तथा शौध्य जो बोर्ड में निहित अथवा उसके द्वारा आप्य हैं राज्य सरकार में निहित तथा उसके द्वारा आप्य होंगे;

(ख) राज्य सरकार में निहित तथा उसके द्वारा आप्त संपत्तियों, निधियों तथा शौध्यों की सीमा तक बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय समस्त दायित्व राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे।

(3) इस धारा की कोई भी बात धारा 44 की उप-धारा (5) के अधीन प्रत्याभूत उधार अथवा डिबेन्चरों के संबंध में राज्य सरकार के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी।

63. निरसन तथा व्यावृत्ति.—(1) राजस्थान आवासन अध्यादेश, 1970 (राजस्थान अध्यादेश 3 सन् 1970) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) उक्त निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में की गई या की गई समझी गई कोई बात अथवा की गई या की गई समझी गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई समझी जायगी ।

दुर्गाशंकर आचार्य,
शासन सचिव ।

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, April 18, 1970.

No. F. 7 (4) Vidhi 70.—In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English Language of the Rajasthan Avasala Board Adhiniyam, 1970 (Adhiniyam Sankha 4, San 1970)

(English Translation,)

THE RAJASTHAN HOUSING BOARD ACT, 1970

(Act No. 4 of 1970)

[Received the assent of the Governor on the 18th day of April, 1970]

An

Act

to provide for measures to be taken to deal with and satisfy the need of housing accommodation in the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Twenty first year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

Preliminary.

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called the Rajasthan Housing Board Act, 1970.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

2. *Definitions.*—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(1) “adjoining area” means such area as may be specified to be an adjoining area under section 28 of this Act;

(2) “Board” means the Rajasthan Housing Board constituted under section 4 of this Act;

(3) “Board premises” means any premises belonging to, or vesting in, the Board or taken on lease by the Board or any premises which is entrusted to, or in the possession or control of, the Board for the purposes of this Act;

(4) “building materials” means such commodities or articles as are specified by the State Government by notification to be building materials for the purposes of this Act;

(5) “bye-laws” means bye-laws made under section 54 of this Act;

(6) “Chairman” means the Chairman of the Board;

(7) “Committee” means any committee appointed under section 19 of this Act;

(8) "Government or State Government" means the Government of the State of Rajasthan;

(9) "Housing Commissioner" means the Housing Commissioner of the Board;

(10) "Housing Scheme" means a housing scheme framed under this Act and includes a scheme for the development of land required for the purposes of the scheme.

(11) "land" includes benefits to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;

(12) "local authority" includes a Municipal Board established under section 7 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Act 38 of 1959), a Panchayat established under section 3 of the Rajasthan Panchayat Act, 1953 (Act 21 of 1953) or a Panchayat Samiti or a Zila Parishad respectively constituted under sections 7 and 42 of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959 (Act 37 of 1959);

Explanation.—The expression "Municipal Board", wherever used in this Act, shall be deemed to include a Municipal Corporation, a Municipal Council or any other Municipal authority;

(13) "master plan" means the master plan prepared and approved for any urban area in accordance with the provisions of Chapter II of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act 35 of 1959);

(14) "member" means the Chairman and other members of the Board;

(15) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(16) "premises" means any land or building or part of a building and includes,—

(i) the gardens, grounds and out-houses, if any, appertaining to such building or part of a building, and

(ii) any fittings affixed to such building or part of a building for the more beneficial enjoyment thereof;

(17) "prescribed" means prescribed by rules;

(18) "programme" means the annual housing programme prepared by the Board under this Act;

(19) "regulations" means regulations made under section 53 of this Act;

(20) "rules" means rules made under section 52 of this Act;

(21) "Secretary" means the Secretary of the Board;

(22) "Trust" means an Improvement Trust established under section 8 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act 35 of 1959);

(23) "year" means the year commencing on the 1st day of April and ending on the 31st day of March.

3. All words and expressions used but not defined in this Act shall have the same meanings as are assigned to them by the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act 35 of 1959) or the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Act 38 of 1959) as may be relevant in the context.

CHAPTER II

Establishment of the Board.

4. *Establishment of the Board.*—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, establish, for the purposes of this Act, a Board to be called "The Rajasthan Housing Board", hereinafter called the 'Board', with effect from such date as may be specified in the notification.

(2) The Board shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable and to enter into contracts and may by its corporate name sue and be sued and do all things and acts necessary for the purposes of this Act.

(3) For the purposes of this Act and the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 (Rajasthan Act XXIV of 1953), the Board shall be deemed to be a local authority.

Explanation.—The purposes of this Act referred to in subsection (3) include the management and use of lands and buildings belonging to or vesting in the Board under or for the purposes of this Act and the exercise of its rights over and with respect to such lands and buildings for the purposes of this Act.

5. *Constitution of the Board.*—(1) The Board shall consist of a Chairman appointed by the State Government and of the following other members, namely :—

- (a) Financial Commissioner, Government of Rajasthan, ex-Officio member;
- (b) Secretary to Government, Town Planning Department, ex-Officio member;
- (c) Chief Town Planner and Architectural Adviser, ex-Officio member;
- (d) Housing Commissioner of the Board, ex-Officio member; and
- (e) six non-official members, appointed by the Government, of whom one shall belong to the Schedule Castes or Scheduled Tribes.

(2) The names of the Chairman and other members appointed under sub-section (1) shall be published in the Official Gazette.

(3) A non-official member of the Board may at any time resign his office by submitting his resignation to the State Government:

Provided that the resignation shall not take effect until it is accepted by the Government.

(4) The State Government may, by notification in the Official Gazette, remove from office the Chairman or any other member who—

- (a) is, or has become, subject to any of the disqualifications mentioned in section 7, or
- (b) in the opinion of the State Government, has been guilty of any misconduct or neglect or has so flagrantly abused his position as to render his continuance as member detrimental to the interests thereof or of the general public:

Provided that no person shall be removed from office unless he has been given an opportunity to show cause against his removal.

6. *Term of office of the Chairman and non-official members.*—(1) The Chairman and the non-official members of the Board shall hold office for a period of three years from the date of their appointment as Chairman, or as the case may be, other members:

Provided that the term of office of the Chairman and the non-official members may be extended by the Government for a period not exceeding two years.

(2) The Chairman and the non-official members shall on expiry of the term of their office be eligible for re-appointment.

7. *Disqualifications for appointment on the Board.*—(1) A person shall be disqualified for being appointed or for continuing as the Chairman or member of the Board; if he—

- (a) has been convicted by a criminal court for an offence involving moral turpitude, unless such conviction has been set aside;
- (b) is an undischarged insolvent;
- (c) is of unsound mind;
- (d) is an officer or servant under the Board;
- (e) has directly or indirectly, by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of, the Board; or
- (f) is a director or a secretary, manager or other salaried officer of any incorporated company which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Board.

(2) A person shall not, however, be disqualified under clause (e) or clause (f) of sub-section (1) or be deemed to have any share or interest in any contract or employment within the meaning of those clauses, by reason only of his, or the incorporated company of which he is a director, secretary, manager or other salaried officer, having a share or interest in:

- (i) any sale, purchase, lease or exchange of immovable property or any agreement for the same;
- (ii) any agreement for the loan of money or any security for the payment of money only;
- (iii) any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of the Board is inserted;
- (iv) the occasional sale to the Board up to a value not exceeding two thousand rupees in any one year, of any article in which he or the incorporated company regularly trades.

(3) A person shall not also be disqualified under clause (e) or clause (f) of sub-section (1) or be deemed to have any share or interest in any incorporated company which has any share or interest in any contract or employment with by or on behalf of the Board, by reason only of his being a share-holder of such company:

Provided that such person discloses to the Government the nature and extent of the shares held by him.

Explanation.—For the purposes of clause (d) of sub-section (1), the Chairman of the Housing Commissioner shall not be deemed to be an officer or servant under the Board.

8. *Remuneration to the Chairman and members.*—(1) The Chairman shall be paid such remuneration and allowances as may, from time to time, be fixed by the Government.

(2) Every member shall receive such allowances as may be fixed by the Government.

(3) The allowances to the members and the remuneration to the Chairman shall be paid from the fund of the Board.

9. *Leave of absence for the Chairman and appointment of an acting Chairman.*—(1) The Government may, from time to time, grant to the Chairman such leave as may be admissible under the rules.

(2) Whenever there is a temporary vacancy in the office of the Chairman, the Government may appoint a person to act as Chairman during the period of such vacancy and shall pay to such person such remuneration and allowances as may be fixed by them. The person so appointed shall be deemed for all purposes of this Act to be the Chairman.

10. *Vacancy of a member.*—If a member :

- (a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in section 7,
- (b) tenders his resignation in writing to the Government and the same is accepted, or
- (c) is absent without the permission of the Board from three consecutive meetings of the Board,

he shall cease to be a member, from such date as the Government may declare.

11. *Vacancy to be filled as early as practicable.*—Any vacancy of the Chairman or a member of the Board shall be filled in as early as practicable and the term of such appointment shall be for the remainder of the term of the Chairman or the member as the case may be:

Provided that during any such vacancy, the continuing members may act, as if no vacancy had occurred.

12. *Proceedings presumed to be good and valid.*—No disqualification of or defect in the appointment of any person acting as Chairman or a member of the Board shall be deemed to vitiate any act or proceeding of the Board, if such act or proceeding is otherwise in accordance with the provisions of this Act.

13. *Temporary absence of members.*—If any member of the Board other than the Chairman is by infirmity or otherwise rendered temporarily incapable of carrying out his duties or is absent on leave or otherwise not involving the vacation of his appointment, the State Government may appoint another person to officiate for him and carry out his functions under this Act or any rule or regulation made thereunder.

14. *Appointment of officers and servants and creation of posts.*—(1) The Board shall have a Housing Commissioner, an Architect, a Secretary, a Chief Accounts Officer and such other officers and servants as the Board may consider necessary for the efficient performance of its functions.

(2) The appointments of the Housing Commissioner, Secretary and Chief Accounts Officer shall be made by the Board, subject to the previous approval of the State Government and the appointments of other officers and servants of the Board shall be made by the Board:

Provided that the Board shall not appoint any officer in the scale of pay the maximum of which exceeds one thousand and two hundred rupees a month, without obtaining the previous sanction of the State Government.

(3) The Board shall have power to create any post on its establishment:

Provided that no new post, the scale of pay of which exceeds one thousand and two hundred rupees per month shall be created by the Board, without the previous sanction of the State Government.

15. *Conditions of service of officers and servants.*—The remuneration and other conditions of service of the Housing Commissioner, Secretary, Chief Accounts Officer and other officers and servants of the Board shall be such as may be determined by regulations.

16. *Provident Fund.*—(1) The State Government shall establish a provident fund for the Housing Commissioner, Secretary, Chief Accounts Officer and other officers and servants of the Board and such provident fund shall be deemed to be a Government Provident Fund for the purposes of the Provident Funds Act, 1925 (Central Act XIX of 1925), notwithstanding anything contained in section 8 thereof and such fund may be administered by such officers of the State Government, or of the Board, as the State Government may specify in that behalf.

(2) The Board shall, in respect of each of its employees who is a subscriber to the said fund, pay into the said fund such portion of the contribution in such manner as the State Government may, from time to time, determine.

17. *Preparation and maintenance of schedule of establishment.*—Before the first day of May of every year, the Board shall prepare and maintain a schedule of establishment as on the first day of April of that year showing—

- (i) the number, designations and grades and scales of pay of the officers and servants (other than the employees who are paid by the day or whose pay is charged to any temporary work), whom it considers necessary and proper to employ for the purposes of this Act;
- (ii) the amount and nature of the salary, fees and allowances to be paid by the Board to each such officer or servant; and
- (iii) the amount to be paid by the Board towards leave salary, pension, provident fund or any other purpose in respect of each such officer or servant.

18. *General disqualification of all officers and servants.*—No person who has directly or indirectly by himself or his partner or agent any share or interest in any contract, by or on behalf of the Board, or in any employment under, by or on behalf of the Board otherwise than as an officer or servant thereof, shall become or remain an officer or servant of the Board.

19. *Appointment of Committees.*—(1) Subject to any rules made in this behalf, the Board may from time to time appoint one or more Committees for the purpose of securing the efficient discharge of its functions, and in particular for the purpose of securing that the said functions are discharged with due regard to the circumstances and requirements of particular local areas.

(2) Any Committee appointed under sub-section (1) shall meet to discharge the functions assigned to it in such manner as may be directed by the Board.

Conduct of Business.

20. *Meetings of the Board.*—The Board shall meet and shall from time to time make such arrangements with respect to the day, time, notice, management and adjournment of its meetings as it thinks fit, subject to the following provisions, namely :—

- (a) an ordinary meeting shall be held once in every two months;
- (b) the Chairman may, whenever he thinks fit, call special meetings;
- (c) every meeting shall be presided over by the Chairman and in his absence, by any member chosen by the meeting to preside for the occasion;
- (d) all questions at any meeting shall be decided by a majority of the members present and in case of equality of votes, the person presiding shall have and exercise a second or casting vote; and
- (e) the minutes of the proceedings of each meeting shall be recorded in a book to be provided for the purpose.

21. *Temporary Association of persons with Board for particular purpose.*—(1) The Board may associate with itself, any person whose assistance or advice it may desire for carrying into effect any of the provisions of this Act:

Provided that the number of persons so associated shall not be more than three.

(2) A person associated with the Board under sub-section (1) for any purpose shall have the right to take part in the deliberations of the Board relevant to that purpose, but shall not have the right to vote.

(3) The State Government may, by order, depute its representatives to attend any meeting of the Board and to take part in the deliberations of the Board, on such items or subjects as the State Government may specify, but such representatives shall not have the right to vote.

22. *Power to make contracts.*—The Board may enter into and perform all such contracts as it may consider necessary or expedient for carrying out any of the purposes of this Act.

23. *Execution of contract.*—(1) Every contract shall be made on behalf of the Board by the Chairman;

Provided that:—

- (a) no contract involving an expenditure of rupees ten lacs and more shall be made without the previous sanction of the State Government; and

- (b) no contract involving an expenditure of five thousand rupees and more shall, subject to clause (a) above, be made without the previous sanction of the Board.

(2) Sub-section (1) shall apply to every variation or abandonment of a contract or estimate as well as to an original contract or estimate.

24. *Delegation of Board's power to sanction contracts.*—Subject to any rule which the State Government may make in this behalf, the Board may by order direct that the power conferred on it under section 23 to sanction a contract shall be exercised by the Housing Commissioner or any other officer specified by it in the order.

25. *Further provisions as to execution of contracts.*—(1) Every contract by the Chairman on behalf of the Board shall, subject to the provisions of this section, be entered into in such manner and form as may be prescribed.

(2) A contract not executed as provided in this section and the rules made thereunder shall not be binding on the Board.

CHAPTER III

Housing Schemes.

26. *Powers and duties of the Board to undertake Housing Schemes.*—

(1) Subject to the provisions of this Act and subject to the control of the State Government, the Board may, from time to time incur expenditure and undertake works in any area in which this Act is in force for the framing and execution of such housing Schemes as it may consider necessary.

(2) The Housing Scheme may be of one of the following types, or combination of any two or more of such types or of any special features hereof, namely:—

- (a) a house accommodation scheme with special emphasis for the scheduled castes, scheduled tribes and other economically backward classes;
- (b) a rebuilding scheme;
- (c) a rehousing or rehabilitation scheme;
- (d) a city or town or village expansion scheme;
- (e) a commercial or commercial cum-residential scheme;
- (f) an Urban Renewal Scheme including of Slum Clearance or Slum Improvement Schemes;
- (g) a Subsidised Industrial Housing Scheme; or
- (h) any other scheme with the approval of the State Government.

(3) The State Government may, on such terms and conditions as it may think fit to impose, entrust to the Board the framing and execution of any housing scheme whether provided for by this Act or not, and the Board shall thereupon undertake the framing and execution of such scheme as if it had been provided for by this Act.

(4) The Board may, on such terms and conditions as may be agreed upon and with the previous approval of the State Government, take over for execution any housing scheme on behalf of a local authority or co-operative society or on behalf of an employer when the houses are to be built mainly for the residence of his employees, and the Board shall execute such scheme as if it had been provided for by this Act.

27. *Ban on new constructions or additions or alterations in the proposed scheme area.*—The Board shall, as soon as it frames and decides to execute any scheme either at its own instance or at the instance of the State Government or a local authority, the State Government may, at the request of the Board, publish a notification in the Official Gazette giving particulars and specifications of the scheme and declaring that the Board has decided to frame and execute the scheme together with a notice inviting every person interested to see the detailed plans and specifications of the scheme in the office of the Board on any working day within one month of the publication of the notice, and upon such publication of such notification together with the notice as aforesaid, no person shall make any new construction in the area covered by the scheme or make any additions or alterations in any existing structure in the scheme area without the written permission of the Board.

28. *Matters to be provided for by housing schemes.*—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a housing scheme may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the acquisition by purchase, exchange or otherwise of any property necessary for or affected by the execution of the scheme;
- (b) the laying or re-laying out of any land comprised in the scheme;
- (c) the distribution or redistribution of site belonging to owners of property comprised in the scheme;
- (d) the closure or demolition of dwellings or portions of dwellings unfit for human habitation;
- (e) the demolition of obstructive buildings or portions of buildings;
- (f) the construction and reconstruction of buildings;
- (g) the sale, letting or exchange of any property comprised in the scheme;
- (h) the construction and alteration of streets and back lanes;
- (i) the formation of a reconstituted plot by the alterations of the boundaries of an original plot;
- (j) the allotment of a plot to any owner dispossessed of his land in furtherance of the housing scheme;
- (k) the transfer of ownership of a plot from one person to another;

- (l) the reconstitution of two or more plots belonging to different persons into one plot without changing their boundaries and making them joint property with the consent of the owners of the original plots;
- (m) the provision of draining, water-supply and lighting of the area included in the scheme;
- (n) the provision of parks, playing-fields and open spaces for the benefit of any area comprised in the scheme or any adjoining areas, and the enlargement of existing parks, playing-fields, open spaces and approaches;
- (o) the reclamation or reservation of lands for markets, gardens, playing-fields, schools, dispensaries, hospitals and other amenities in the scheme;
- (p) the letting out, management and use, of the Board premises;
- (q) the provision of sanitary arrangements required for the area comprised in the scheme, including the conservation of, and prevention of any injury or contamination to reverse or other sources and means of water-supply;
- (r) the provision of accommodation for any class of inhabitants;
- (s) the advance of money for the purpose of the scheme;
- (t) the provision of facilities for communication and transport;
- (u) the collection of such information and statistics as may be necessary for the purposes of this Act;
- (v) any other matter for which, in the opinion of the State Government, it is expedient to make provision with a view to provide housing accommodation and to the improvement or development of any area comprised in the scheme or any adjoining area or the general efficiency of the scheme.

Explanation.—For the purposes of this section, the State Government may, on the recommendation of the Board, by notification in the Official Gazette, specify such area surrounding or adjoining the area included in a housing scheme to be the adjoining area.

29. *Submission of budget to Board.*—(1) The Chairman shall, at a special meeting to be held in the month of January in each year, lay before the Board, a budget of the Board, for the next year.

(2) Every such budget shall be prepared in such form as may be prescribed and shall make provision for:

- (i) the housing schemes which the Board proposes to execute whether in part or whole during the next year,

(ii) the due fulfilment of all the liabilities of the Board, and

(iii) the efficient administration of this Act and shall contain a statement showing the estimated receipts, and expenditure on capital and revenue accounts for the next year, and such other particulars as may be prescribed.

30. *Board's sanction to budget.*—The Board shall consider the budget laid before it under the last preceding section and sanction it with or without modifications.

31. *Submission of sanctioned budget to State Government for approval.*—(1) Every budget sanctioned by the Board under the last preceding section shall be submitted to the State Government for approval. Within two months of the receipt of the budget, the State Government may approve the budget as sanctioned by the Board or return it to the Board for making such modifications therein as the State Government may deem fit.

(2) Where a budget is returned to the Board by the State Government for making any modifications therein, the Board shall forthwith make such modifications and submit the budget as so modified to the State Government, which may then approve it.

32. *Supplementary budget.*—The Chairman may, at any time during the year for which a budget has been approved by the State Government, lay before the Board a supplementary budget and the provisions of sections 28, 29, 30 and 31 shall apply to such supplementary budget.

33. *Publication and execution of housing schemes.*—After the budget is approved by the State Government, the Board shall cause the housing schemes, in respect of which provision is made in the budget, to be published in the Official Gazette in such manner as may be prescribed and proceed to execute the schemes.

34. *Variation of housing schemes.*—The Board may at any time vary any housing schemes or any part thereof included in the budget approved by the State Government:

Provided that no such variation shall be made if it involves an expenditure in excess of 10 per cent. of the amount as included in the budget approved by the State Government for the execution of any housing scheme or if it affects the scope or purpose of such scheme.

35. *Transfer to the Board for purposes of housing scheme of land vested in a local authority.*—(1) Whenever any street, square or other land, or any part thereof, situated in any area of a local authority and vested in a local authority is required for the purposes of any housing Scheme included in the budget approved by the State Government, the Board shall give notice to the local authority concerned to transfer to it the required street, square or other land, or any part thereof as the case may be.

(2) Where the local authority concurs, such street, square or other land, or part thereof, shall vest in the Board.

(3) Where there is any dispute, the matter shall be referred to the State Government. The State Government shall, after hearing the local authority concerned, decide the matter. The decision of the State Government shall be final. If the State Government decides that such street, square, land, or part thereof, shall vest in the Board, it shall vest accordingly.

(4) The vesting of street, square, land or a part thereof under sub-section (2) or (3) of the section shall be notified in the Official Gazette.

(5) Nothing in this section shall affect the duties and obligations of the local authority in respect of such street, square or land and the local authority concerned shall be liable to render all the municipal services usually provided by it in the land vested in the Board under this section notwithstanding such vesting.

36. *Power of Board to turn or close public street vested in it.*—(1) The Board may turn, divert, discontinue the public use of, or permanently close, any public street or a part thereof vested in it.

(2) Whenever the Board discontinues the public use of, or permanently closes, any public street or any part thereof, vested in it, it shall, as far as practicable, provide some other reasonable means of access to be substituted in lieu of the use, by those entitled, of the street or part thereof.

(3) When any public street vested in the Board is permanently closed under sub-section (1), the Board may sell or lease so much of the same as is no longer required.

37. *Vesting in local authority of streets laid out or altered and open space provided by the Board under housing scheme.*—(1) Whenever the State Government is satisfied—

(a) that any street laid out or altered by the Board has been duly levelled, paved, metalled, flagged, channelled, sewered and drained as required for any housing schemes approved by the State Government under section 31;

(b) that such lamps, lamp-posts and other apparatus as the local authority concerned considers necessary for the lighting of such street and as ought to be provided by the Board have been so provided; and

(c) that water and other sanitary conveniences have been duly provided in such street, it may declare the street to be a public street, and the street shall thereupon vest in the local authority concerned and shall thenceforth be maintained kept in repair, lighted and cleaned by the local authority concerned.

(2) When any open space for purposes of ventilation or recreation has been provided by the Board in executing any housing scheme, the Board may at its option by resolution transfer such open space to the

local authority concerned on completion of the scheme and thereupon such open space shall vest in, and be maintained at the expense of the local authority:

Provided that the local authority may require the Board before any such open space is so transferred to enclose, level, turf, drain and lay-out such space and provide foot-paths therein, and if necessary, to provide lamps and other apparatus for lighting it.

(3) If any difference of opinion arises between the Board and local authorities in respect of any matter referred to in the foregoing provisions of this section, the matter shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

38. *Other duties of the Board.*—(1) It shall be the duty of the Board to take necessary measures to maintain, allot, lease and otherwise use the Board premises and to collect rents, compensation and damages in respect thereof.

(2) The Board may,—

- (i) provide technical advice to the State Government and scrutinize projects under housing schemes in the area to which this Act extends when required by the State Government to do so;
- (ii) undertake research on various problems connected with housing in general and find out in particular the economical methods of constructing houses suited to local conditions;
- (iii) undertake comprehensive surveys of problems of housing; and
- (iv) do all things for—
 - (a) unification, simplification and standardisation of building materials;
 - (b) encouraging pre-fabrication and mass production of house components;
 - (c) organising or undertaking the production of building materials for residential or non-residential houses; and
 - (d) securing a steady and sufficient supply of workmen trained in the work of construction of buildings.

39. *Power to exempt schemes from provisions of sections 29 to 34.*—The State Government may by general or special order published in the Official Gazette, exempt any housing scheme undertaken by the Board from all or any of the provisions of sections 29 to 34 (both inclusive) subject to such conditions, if any, as it may impose or may direct that any such provision shall apply to such scheme with such modifications as may be specified in the order.

CHAPTER IV

Finance, Accounts and Audit.

40. *Board's Fund.*—(1) The Board shall have its own fund.

(2) The Board may accept grants, subventions, donations and gifts from the Central or State Government or a local authority or any Individual or body, whether incorporated or not for all or any of the purposes of this Act.

(3) The State Government may every year make a grant to the Board of a sum equivalent to the administrative expenses of the Board:

Provided that the amount of such grant may be reduced or discontinued to the extent the financial position of the Board warrants.

(4) All moneys received by or on behalf of the Board by virtue of this Act, all proceeds of land or any other kind of property sold by the Board, all rents and all interest, profits and other moneys accruing to the Board shall constitute the fund of the Board.

(5) Except as otherwise directed by the State Government, all moneys and receipts specified in the foregoing provisions and forming part of the fund of the Board shall be deposited in the Reserve Bank of India or in any Nationalised Bank or other scheduled Bank, invested in such securities as may be approved by the State Government.

(6) Such account shall be operated upon by such officers as may be authorised by the Board.

41. *Application of the Fund.*—All property, fund and all other assets vesting in the Board shall be held and applied by it, subject to the provisions and for the purposes of this Act.

42. *Expenditure in case of urgency.*—(1) Where in the opinion of the Board, circumstances of extreme urgency have arisen, it shall be lawful for the Board to make in any year:—

(a) recurring expenditure not exceeding twenty-five thousand rupees, and

(b) non-recurring expenditure not exceeding one lac of rupees.

(2) Where any sum is expended under circumstances of extreme urgency as provided in sub-section (1), a report thereof indicating the source from which it is proposed to meet the expenditure shall be made by the Board as soon as practicable to the State Government.

43. *Subventions and loans to the Board.*—(1) The State Government may from time to time make subventions to the Board for the purposes of this Act on such terms and conditions as the State Government may determine.

(2) The State Government may from time to time advance loans to the Board on such terms and conditions not inconsistent with the provisions of this Act as the State Government may determine.

44. *Power of Board to Borrow.*—(1) The Board may, from time to time with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of this Act and to such conditions as may be prescribed in this behalf, borrow any sum required for the purposes of this Act.

(2) The rules made by the State Government for the purposes of this section may empower the Board to borrow by the issue of debentures and to make arrangements with bankers or the Life Insurance Corporation of India.

(3) All debentures issued by the Board shall be in such form as the Board, with the sanction of the State Government may, from time to time, determine.

(4) Every debenture shall be signed by the Chairman and one other member of the Board.

(5) Loans borrowed and debentures issued under this section may be guaranteed by the State Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the State Government.

45. *Accounts and audit.*—(1) The Board shall cause to be maintained proper books of accounts and such other books as the rules may require and shall prepare in accordance with the rules an annual statement of accounts.

(2) The Housing Board accounts shall, from time to time, once in every year be audited by the Examiner of Local Fund Audit in accordance with the provisions of the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Rajasthan Act 28 of 1954).

(3) As soon as the accounts of the Board have been audited, the Board shall send a copy thereof together with a copy of the report of the auditor thereon to the State Government and shall cause the accounts to be published in the prescribed manner and place copies thereof on sale at a reasonable price.

(4) The Board shall comply with such directions as the State Government may, after perusal of the report of auditor, think fit to issue.

46. *Concurrent and special audit of accounts.*—(1) Notwithstanding anything contained in section 45, the State Government may order that there shall be a concurrent audit of the accounts of the Board by such person as it thinks fit. The State Government may also direct a special audit to be made by such person as it thinks fit of the accounts of the Board relating to any particular transaction or a class or series of transactions or to a particular period.

(2) When an order is made under sub-section (1), the Board shall present or cause to be presented for audit such accounts and shall furnish to the person appointed under sub-section (1) such information as the said person may require for the purpose of audit and remedy or cause to be remedied the defects pointed out by such person, unless they are condoned by the State Government.

CHAPTER V

Miscellaneous.

47. *Reports.*—The Board shall, before such date and in such form and at such intervals as may be prescribed, submit to the State Government a report on such matters as may be prescribed.

(2) The State Government shall, as soon as may be, cause the report submitted by the Board to be laid before the House of the State Legislature

48. *Other statements and returns.*—The Board shall also submit to the State Government such statistics, returns, particulars, statements, documents or papers in regard to any proposed or existing scheme or relating to any matter or proceedings connected with the working of the Board at such times and in such form and manner as may be prescribed or as the State Government may from time to time direct.

49. *Power of entry.*—The Chairman or any person either generally or specially authorised by the Chairman in this behalf may, with or without assistants or workmen, enter into or upon any land, in order—

- (a) to make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;
- (b) to take levels;
- (c) to dig or bore into the sub-soil;
- (d) to set boundaries and intended lines of work;
- (e) to make such levels, boundaries and lines of works and cutting trenches; or
- (f) to do any other thing,

whenever it is necessary to do so for any of the purposes of this Act or any rules made or scheme sanctioned thereunder:

Provided that,—

- (i) no such entry shall be made between sunset and sunrise;
- (ii) no dwelling house and no public building which is used as a dwelling place, shall be so entered, unless with the consent of the occupier thereof and without giving the said occupier at least twenty-four hours previous written notice of the intention to make such entry;
- (iii) sufficient notice shall in every instance be given, even when any premises may otherwise be entered without notice, to enable the

inmates of any apartment appropriated to females to remove themselves to some part of the premises where their privacy may not be disturbed; and

- (iv) due regard shall always be had, so far as may be compatible with the exigencies of the purpose for which the entry is made, to the social and religious usages of the occupants of the premises entered.

50. *Notice of suit against Board.*—No person shall commence any suit against the Board or against any officer or servant of the Board or any person acting under the orders of the Board, for anything done or purporting to have been done in pursuance of this Act, without giving to the Board, officer or servant or person two months previous notice in writing of the intended suit and of the cause thereof, nor after six months from the date of the act complained of.

51. *Valuation of assets and liabilities of the Board.*—The Board shall at the end of every five years have a valuation of its assets and liabilities made by a valuer appointed with the approval of the State Government:

Provided that it shall be open to the State Government to direct a valuation to be made at any time it may consider necessary.

52. *Power to make rules.*—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may be made for all or any of the following purposes, namely :—

- (a) the allowances of members and remuneration and conditions of service of the Chairman;
- (b) the rates of subscriptions and contributions and other conditions of the provident fund established under section 16;
- (c) the manner and form in which contracts shall be entered into under section 25;
- (d) the form of the annual budget to be laid before the Board under section 29 and the other particulars to be contained therein;
- (e) the manner of publication of housing schemes included in the budget under section 33;
- (f) the conditions subject to which the Board may borrow any sum under section 44;
- (g) the manner of preparation, maintenance and publication of accounts under section 45;

- (h) the date before which, the form in which, the interval at which and the matters on which reports shall be submitted under section 47;
- (i) the time at which and the form and manner in which statistics, returns, particulars, statements, documents and papers shall be submitted under section 48;
- (j) the manner in which the Board shall be superseded and re-constituted under section 61; and
- (k) any other matter which is or may be prescribed under this Act.

(3) All rules made under this Act shall be laid as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than 14 days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may, so however that any such modification or annulment shall be without prejudices to the validity of anything previously done thereunder.

53. *Power to make regulations.*—(1) The Board may, from time to time, with the previous sanction of the State Government, make regulations consistent with this Act and with any rules made under this Act—

- (a) for the management and use of buildings constructed under any housing scheme;
- (b) the principles to be followed in allotment of tenements and premises;
- (c) the remuneration and conditions of service of the Housing Commissioner and other officers and servants of the Board under section 15;
- (d) for regulating its procedure and the disposal of its business.

(2) If it appears to the State Government that it is necessary or desirable for carrying out the purposes of this Act to make any regulation in respect of matters specified in sub-section (1) or to amend any regulation made under that sub-section, it may call upon the Board to make such regulation or amendment within such time as it may specify. If the Board fails to make such regulation or amendment within the time specified, the State Government may itself make such regulation or amendment and the regulation or the amendment so made shall be deemed to have been made by the Board under sub-section (1).

54. *Power to make bye-laws.*—(1) The Board may make bye-laws, not inconsistent with this Act which may be necessary or expedient for the purpose of carrying out its duties and functions under this Act.

(2) A bye-law made under this section may provide that a contravention thereof shall be an offence.

(3) A bye-law made under this section may provide for any matter covered by a bye-law made under the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Act 38 of 1959) and on publication of such bye-law, any bye-law made under section 90 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959, shall cease to have effect as respects the matters covered by the bye-law made under this section, in the area where such bye-law shall apply.

(4) No bye-law made by the Board shall come into force until it has been confirmed by the State Government with or without modification.

(5) All bye-laws made under this section shall be published in the Official Gazette.

55. *Penalty for contravention of bye-laws.*—Whoever contravenes a bye-law made under section 54 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

56. *Penalty for obstructing.*—If any person—

(a) obstructs, or molests any person with whom the Board has entered into a contract, in the performance or execution by such person of his duty or of anything which he is empowered or required to do under this Act, or

(b) removes any mark set up for the purpose of indicating any level or direction necessary to the execution of works authorised under this Act,

he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

57. *Authority for prosecution.*—Unless otherwise expressly provided, no Court shall take cognisance of any offence punishable under this Act except on the complaint of, or upon information received from, the Board or some person authorised by the Board by a general or special order in this behalf.

58. *Members, officers and servants of the Board to be public servants.*—All members, officers and servants of the Board shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (Central Act 45 of 1860).

59. *Protection of action taken under this Act.*—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or purported to be done under this Act.

60. *Government's power to give directions to the Board.*—The State Government may give the Board such directions as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act, and it shall be the duty of the Board to comply with such directions.

61. *Default in performance of duty.*—(1) If the State Government is satisfied that the Board has made default in performing any duty imposed on it by or under this Act, it may fix a period for the performance of that duty.

(2) If in the opinion of the State Government the Board fails or neglects to perform such duty within the period so fixed for its performance, it shall be lawful for the State Government notwithstanding anything contained in section 6, to supersede and reconstitute the Board in the prescribed manner.

(3) After the supersession of the Board and until it is reconstituted, the powers, duties and functions of the Board under this Act shall be carried on by the State Government or by such officer or officers as the State Government may appoint for this purpose.

62. *Dissolution of the Board.*—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that with effect from such date as may be specified in the notification, the Board shall be dissolved.

(2) With effect from the date specified in the notification under sub-section (1)—

- (a) all properties, funds and dues which are vested in or realizable by the Board shall vest in and be realizable by the State Government,
- (b) all liabilities enforceable against the Board shall be enforceable against the State Government to the extent of the properties, funds and dues vested in and realized by the State Government.

(3) Nothing in this section shall affect the liability of the State Government in respect of loans or debentures guaranteed under sub-section (5) of section 44.

63. *Repeal and Savings.*—(1) The Rajasthan Housing Board Ordinance, 1970 (Rajasthan Ordinance 3 of 1970) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or deemed to have been done or any action taken or deemed to have been taken in the exercise of any power conferred by or under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act.

दुर्गा शंकर ग्राचार्य,
Secretary to the Government